allocations and actual supplies made to Gujarat, Madhya Pradesh and Maharash-tra; and

(b) what are the comparative figures for the corresponding period during the years 1990 and 1991?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) and (b) The requirements of coal are not assessed Statewise. They are assessed industry-wise for the entire financial year. Available information indicating quanti-ties of coai supplied to different categories of consumers in the States of Madhya Pradesh (M.P.), Maharashtra (M. H.) and Gujarat for the years 1989-90, 1990-91, 1991-92 and also for the periods April-September, 1992, April-September, 1991 and April-September, 1990 is given in the annexure.

[See Appendix CLXV Annexure No. 13]

साम्प्रदायिक दंगों का रोका जाना

*92. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान हुए साम्प्र-दायिक दंगों की संख्या सहित, प्रदेश, स्थान और तिथि-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन दंगों में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है और इन दंगों में कितने मूल्य की परिसंपत्ति नष्ट की गई/लूटी गई ;

(ग) क्या दंगा प्रभावित जिलों के जिला-अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन दंगों के प्रमुख कारणों के बारे में कोई जांच करायी है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1991 के दौरान तथा अक्तूबर, 1992 तक देश में हुए बड़े साम्प्रदायिक दंगों के बारे में राज्य/संघ शासित राज्यवार दंगों के स्थान तथा प्रत्येक मामले में मारे गए एवं घायल व्यक्तियों की संख्या दर्शाते

स्थान का नाम	व्यक्तियों की संख्या		सम्पत्ति का नुक्सान
	मारे गए	घायल हुए	
1	2	3	4
1991			
आन्ध्र प्रदेश			
हैदराबाद (22--28 सितम्बर)		49	उपलब्ध नहीं
बिहार			
जमशेदपुर (6 मार्च)	3	19	उपलब्ध नहीं
चक्रधरपुर (जिला सिंह भूमि) (अगस्त-8)	5	---	उपलब्ध नहीं
गुजरात			
बड़ौदा (7--10 अप्रैल)	2	32	उपलब्ध नहीं
सूरत (20--27 अप्रैल)	4	20	36.74 लाख

1	2	3	4
बड़ौदा (23—26 अप्रैल)	13	28	3.82 लाख
अंकलेश्वर (जिला भरूच) (24—28 अप्रैल)	2	12	6.95 लाख
अहमदाबाद (28 अप्रैल)	2	2	उपलब्ध नहीं
भरूच नगर (23—24 जुलाई)	4	2	1.42 लाख
जम्बूसर (23—24 जुलाई)	3	33	1.43 लाख
बड़ौदा शहर (23—28 जुलाई)	9	42	1.50 लाख
मध्य प्रदेश			
खरगौन (5—18 मई)	6	19	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र			
जोगेश्वरी पूर्वी बम्बई (27—29 जनवरी)	9	47	1.50 लाख
उड़ीसा			
भद्रक (बालासोर जिला) (24—31 मार्च)	12	90	उपलब्ध नहीं
सोरो कस्बा (जिला बालासोर) (मार्च 24—31)	8	25	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश			
लखनऊ सिटी (14—17 जनवरी)	8	21	उपलब्ध नहीं
गाजियाबाद (26—30 जनवरी)	10	48	21.71 लाख
खुर्जा (27—29 जनवरी)	18	18	उपलब्ध नहीं
बुलन्दशहर (2—3 मार्च)	3	2	उपलब्ध नहीं
सहारनपुर (24 मार्च—3 अप्रैल)	12	53	उपलब्ध नहीं
वाराणसी (18—22 मई)	10	46	उपलब्ध नहीं
कानपुर (19—23 मई)	18	64	उपलब्ध नहीं
मेरठ (20—23 मई)	30	62	उपलब्ध नहीं
सिकन्दराबाद (जिला—बुलन्दशहर) (मई 20—23)	11	5	उपलब्ध नही
वाराणसी (8—15 नवम्बर)	17	26	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल			
गांव जितकापोटा (जिला— नादिया) (11 मार्च)	7	13	उपलब्ध नहीं
आसनसोल (20—23 अप्रैल)	11	7	उपलब्ध नहीं
1992			
गुजरात			
अहमदाबाद (5—6 जनवरी)	10	24	(85.77 लाख)
(2—17 जुलाई)	25	150	उपलब्ध नहीं
बालाशिनौर जिला खेड़ा (22 सितम्बर)	3	17	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
हापुड़ (12--13 फरवरी)	9	10	उपलब्ध नहीं
बहराइच (16--17 फरवरी)	9	35	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक			
बेलगाम (5--12 अप्रैल)	11	64	99 लाख
केरल			
तिरुअन्तपुरम (1--7 अप्रैल)		44	उपलब्ध नहीं
कोल्लम (तिरुअन्तपुरम, इत्यादि) (19--21 जुलाई)	5	122	उपलब्ध नहीं
मत्तानचेरी, जिला एर्नाकुलम (6--8 अक्तूबर)	4	31	उपलब्ध नहीं
बिहार			
जूड़ी (नवादा जिला) (14--16 मई)	3	10	उपलब्ध नहीं
सीतामढ़ी कस्बा (6--8 अक्तूबर) और रीगा	48	116	1.47 करोड़
दिल्ली			
पूर्वी दिल्ली (5--16 मई)	4	56	7.82 लाख
महाराष्ट्र			
मालेगांव (19--21 जुलाई)	3	39	उपलब्ध नहीं
जम्मू और कश्मीर			
जम्मू शहर (20--25 अगस्त)	6	100	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु			
मद्रास (10--11 सितम्बर)	3	60	उपलब्ध नहीं

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची के अनुसार "लोक व्यवस्था तथा पुलिस" राज्य के विषय हैं। पुलिस अधीक्षक तथा जिला अधिकारी, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में काम करते हैं। इसलिए दंगों को रोकने या उनसे निपटने में बरती गई ढील अथवा दिखाई गई अकुशलता के लिए उनके खिलाफ, कार्रवाई राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों द्वारा की जानी होती है। इस विषय पर भारत सरकार के दिशानिर्देश जो राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को जारी किए गए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से इस जरुरत पर बल देते हैं कि साम्प्रदायिक गड़बड़ी से निपटने के उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाए तथा ढिलाई बरतने के लिए दंडित किया जाए। साम्प्रदायिक गड़बड़ी से निपटने की, किसी अधिकारी की क्षमता के बारे में भी एक प्रविष्टि उसकी "वार्षिक गोपनीय" रिपोर्ट में की जानी होती है।

(घ) जहां तक साम्प्रदायिक दंगों की जांच कराने का प्रश्न है, यह कार्य सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

साम्प्रदायिक दंगों के कारणों के बारे में भारत सरकार द्वारा यद्यपि ऐसी कोई जांच नहीं कराई गई है फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार, साम्प्रदायिक हिंसा सामान्यतः साम्प्रदायिक एवं समाज-विरोधी तत्वों की करतूत होती है जो साम्प्रदायिक शांति एवं सद्भाव में विघ्न डालने के लिए विभिन्न घटकों एवं घटनाओं से फायदा उठाते हैं।

(ङ) साम्प्रदायिक दंगों के फिर से घटित होने की स्थिति से बचने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन की है। तथापि, आसूचना का आदान-प्रदान तथा मांगे जाने पर अतिरिक्त बल उपलब्ध कराकर केन्द्र सरकार सभी सम्भवत् सहायता राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों को देती है। साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के उपाय सुझाते हुए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

University Entry Scheme of the Army

*93 DR. SANJAYA SINGH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Army propose to launch a University Entry Scheme to attract additional technical personnel into the service; and

(b) if so[1], what are the details thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR) : (a) and (b) Government have approved, in July 1992, a University Entry Scheme for induction of Engineering students in their Final Year/pre-Final Year, into the Army. The Stoheme will be in operation, initially, for a period of three years.

Engineering students of various disciplines studying in the final/pre-final years in recognised Universities/Institutions will be eligible for induction into the Technical Arms/Services of the Army under this Scheme. Selected candidates will be granted Short Service Commission, on probation, and given stipends at the minimum basic pay of 2nd lieutenants. This amount, however, will be paid in one lumpsum on their joining the Indian Military Academy, for training. On successful completion of training, they will be granted Permanent Commission in the Army. An intake of 100 officers per year has been planned under this Scheme.

सेना में राजस्थानी नवयुवकों का प्रतिनिधित्व

*94. श्री शिवचरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में इस समय कितने प्रतिशत सैन्यकर्मी राजस्थान के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सेना में राजस्थान के युवकों की भर्ती कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार सेना में राजस्थानी नवयुवकों की संख्या को विशेष भर्ती द्वारा बढ़ाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार सेना कार्मिकों के मूल निवास के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखती। पिछले पांच वर्ष के दौरान राजस्थान से सेना में भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जन-संख्या को देखते हुए राजस्थान की भागीदारी के अंश से 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक रही है।

(घ) और (ङ) चूंकि राजस्थान से पिछले पांच वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सेना कार्मिकों की संख्या राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या से अधिक रही है अतः सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि राजस्थान से युवाओं की विशेष भर्ती की जाए।